



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाइट- https://snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-2-4-5 / समाजशास्त्र / 2024/1106

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. बी.के.डहरिया, शासकीय एम.एम.आर.स्नातको. महावि. चाँपा जिला-जाँजगीर चाँपा

2. डॉ. वृन्दा सेनगुप्ता, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जाँजगीर जिला जाँजगीर-चाँपा

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ.हरनारायण भाराद्वाज, शासकीय नवीन महाविद्यालय चंद्रपुर, जिला जाँजगीर-चाँपा

2. डॉ.सुबाला नंदे, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ. किरण सिंह, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

2. डॉ.एस.बी.लकरा, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.बी.के.डहरिया को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for OCT
कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1107/ अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-4-4-1 / विधि / 2024 / 1104

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अंतर्गत विधि अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.आभा सिन्हा, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. डॉ.डी.के.मिश्रा, स्वामी बालकृष्ण पुरी विधि महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ.प्रदीप शर्मा, शासकीय पी.डी. वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़
2. रिक्त

धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ.जी.एन.सिंह, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा

2. प्रो.संतोष कुमार नायक, शासकीय पी.डी. वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.आभा सिन्हा को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for [Signature]

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1105 / अका. / 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

[Signature]
प्रभारी अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-गेल-registrarsnpv@gmail.com. वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-2-4-8 / गृह विज्ञान / 2024 / 1101

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संकाय के अंतर्गत गृह विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.पुष्पा सिंह, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. रिक्त
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती एन.एम.गार्डिया, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़
2. रिक्त
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. रिक्त
2. रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.पुष्पा सिंह को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1102/ अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

प्रभाकर अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उगरिया, ओड़िरा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 490001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाइट- https://snpv.ac.in

क्रमोंक. 2-3-3-4-1 / भौतिकी / 2024 / 1099

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कड़िका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिकी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.उपेन्द्र कुमार वर्मा, शासकीय इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा
2. प्रो. मिनाक्षी चंद्रा, शासकीय एम.एम.आर.स्नातको. महाविद्यालय चाँपा जिला-जाँजगीर चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री एन.पी.कुर्रे, शासकीय महाविद्यालय जैजेपुर, जिला-जांजगीर-चांपा
2. डॉ.लोकेश्वर पटेल, शास.लोचन प्रसाद पाण्डेय महा. सारंगढ़, जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. श्री अशोक कुमार पटेल, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़
2. श्री चंद्रमणी पैकरा, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.उपेन्द्र कुमार वर्मा को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for [Signature]

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1100/ अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

[Signature]
प्रभास अधिचारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमाँक. 2-3-3-4-2 / रसायन शास्त्र / 2024 / 1097

रायगढ़, दिनाँक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन शास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.धनेश सिंह, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़
2. श्रीमती वंदना राठौर, शासकीय इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. वाई.के.चन्द्रा, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, जिला-रायगढ़
2. श्रीमती यशोधरा डहरिया, शासकीय जाज्वलयदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ. पी.के.सिंह, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. डॉ.आशीष तिवारी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.धनेश सिंह को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for [Signature]

कुलसचिव

रायगढ़, दिनाँक 22/08/2024

पृ.क्र. 1098 / अका. / 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

[Signature] निगा
अधीकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-4 / अर्थशास्त्र / 2024 / 1112

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. ई.लकरा, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

2. डॉ. चन्द्रभान खुट्टे, शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातकोत्तर महावि. खरौद, जिला जांजगीर-चांपा

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ.पी.के.कापडी, बटमुल आश्रम महाविद्यालय महापल्ली, जिला-रायगढ़

2. डॉ.रचना दीवान, शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा


धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ. दिनेश देवांगन, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

2. डॉ.देवारचंद पटेल, शास.पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. ई.लकरा को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/24

पृ.क्र. 1113 / अका. / 2024

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
6. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
7. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
8. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
9. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।


प्रभाषी अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमॉक. 2-3-3-4-8 / भूगोल / 2024 / 1110

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूगोल अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. श्रीमती सोफिया अम्ब्रेला, सहा.प्राध्यापक, शास. किरोड़ीमल महा.रायगढ़ जिला-रायगढ़

2. डॉ. नरेन्द्रनाथ गुरिया, चैतन्य कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती आभा बेक, भीमराव अम्बेडकर शास. महा. बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा

2. श्री उसतराम पटेल, शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महावि. सारंगढ़, जिला-रायगढ़

धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ. प्रमोद कुमार साहू, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

2. सुश्री.जीनत पकैरा, शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद, जिला जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.एस.के.त्रिपाठी को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1111 / अका. / 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।

02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।

03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।

04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।

05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।


06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।

07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ

08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।

09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।

10. कार्यालय प्रति।



प्रभाष अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-1 / इतिहास / 2024 / 1108

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत इतिहास अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.डी.एन.बंजारे, शासकीय एम.एम.आर.स्नातको. महाविद्यालय चांपा जिला- जांजगीर-चांपा

2. डॉ.आर.के.बारीक, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. श्री नारायण राव सावरकर, नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़,

2. श्रीमती भारती साहू, डॉ.भवर सिंह पोर्ते कला एवं विज्ञान महाविद्यालय घरघोड़ा जिला रायगढ़

धारा 28 (2)(पाँच) 1. श्री प्रताप चौधरी, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

2. प्रो.आर.के.चन्द्रा, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.आर.के.बारीक को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for [Signature]

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1109 / अका. / 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

[Signature] (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com. वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-2-4-3 / राजनीति विज्ञान / 2024/1120

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024


// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)रो (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. पी.बी.बैस, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़
2. डॉ. जी.सी.पाटले, डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. मनोहर लाल पटेल, नवीन शासकीय महाविद्यालय कुसमुरा जिला-रायगढ़
2. डॉ. गजानंद भतपरे, शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नात्को. महाविद्यालय खरौद जिला जांजगीर-चांपा
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ. प्रीति सिंह, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़
2. डॉ. उषा नायक, शासकीय पालूराम धनानिया वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. पी.बी.बैस को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for 


कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1121/ अका./2024

प्रतिलिपि:-

- माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
- कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
- कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
- संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
- प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
- संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
- विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
- कार्यालय प्रति।


प्रभाषी अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाइट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-6-4-1 / वाणिज्य / 2024 / 1118

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.एस.के.मधुकर,शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. डॉ.ज्योति सोनी,शासकीय पी.डी. वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ.आनंद कुमार शर्मा,किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़
2. डॉ.जी.आर.पाटले,शासकीय जाज्वलयदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा

धारा 28 (2)(पाँच) 1.श्री रविन्द्र कुमार थवाईत,शहीद वीर नारायण सिंह शासकीय महाविद्यालय जोबी बर्रा,जिला-रायगढ़
2. श्रीमती नीति देवांगन, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.ज्योति सोनी को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for [Signature]

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1119/ अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त,गोपनीय,एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

[Signature] प्रभारी अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उगरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com. वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्र.गो.क. 2-3-3-4-3 / गणित / 2024/1116

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत गणित अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.आर.जी.खुट्टे, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. श्रीमती सुरेखा देवांगन, शासकीय इन्द्रजीत सिंह महाविद्यालय अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. श्री छतराम कोसले, शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा
2. श्री नीलकमल निराला, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ. आर.आर.साहू, शासकीय एम.एम.आर.स्नातको. महावि. चाँपा जिला-जाँजगीर चाँपा
2. श्री गजेन्द्र प्रताप बनज, किरोडीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.आर.जी.खुट्टे को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र.1117 / अका. / 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

प्रभासी अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक. 2-3-10-4-1 / वनस्पति शास्त्र / 2024 1114

रायगढ़, दिनांक 22/08/24

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति शास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. नीलिमा पाण्डेय, शासकीय एम.एम.आर.स्नातको. महावि. चाँपा जिला-जाँजगीर चाँपा
2. श्री अजय कुमार चौहान, शासकीय महाविद्यालय तमनार, जिला - रायगढ़


धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती अदिति गौतम, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, जिला - रायगढ़
2. श्री टी.एस.मैत्री, शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद, जिला जाँजगीर-चाँपा

धारा 28 (2)(पाँच) 1. श्री भूषण कुमार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय बलौदा, जिला-जाँजगीर-चाँपा
2. श्री एस.पी.दर्शन, शहीद वीर नारायण सिंह शास. महाविद्यालय जोयी-बरा, जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. नीलिमा पाण्डेय को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/24

पृ.क्र.1115 / अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।


प्रधान-जाँजगीरी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाइट- <https://snpv.ac.in>

क्रमोंक. 2-3-1-1-1 / अंग्रेजी / 2024 / 1132

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024


// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.एस.के.त्रिपाठी डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़,जिला-जांजगीर-चांपा
2. डॉ. प्रीति षंडगी किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. अजित जॉन,जे.एल.एन.डिग्री कॉलेज सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा
2. डॉ. पी.एम.दास,शासकीय महाविद्यालय तमनार,जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ. शालनी पाण्डेय, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. डॉ.श्रुति श्रीवास्तव, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा,जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.एस.के.त्रिपाठी को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for 
कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1133/ अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त,गोपनीय,एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।


प्रमुख अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमॉक. 2-3-3-4-14/ कम्प्युटर सांइस / 2024 | 1130

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कम्प्युटर सांइस संकाय के अंतर्गत कम्प्युटर सांइस अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. रिक्त

2. रिक्त

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. श्रीमती सृष्टि माथुर, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

2. श्री रामरतन खुट्टे, शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा


धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ.धरमपाल रामटेके, शासकीय नवीन महाविद्यालय हसौद, जिला जांजगीर-चांपा

2. डॉ.विक्रान्त गुप्ता, बटमुल आश्रम महाविद्यालय महापल्ली, जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा श्रीमती सृष्टि माथुर को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. / अका. / 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।


प्रभासी अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उगरिया, ओशिरा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com. वेबसाइट- https://snpv.ac.in

क्र.सं. 2-3-1-4-2 / संस्कृत / 2024 / 1128

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. धनेश्वरी पटेल, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. डॉ. उत्तरा निराला, शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातको. महाविद्यालय खरौद जिला जांजगीर-चांपा

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ. वासुदेव एक्का, शासकीय वेदराम महाविद्यालय मालखरौदा, जिला जांजगीर-चांपा
2. डॉ. टंकेश्वरी पटेल, शास.लोचन प्रसाद पाण्डेय महा. सारंगढ़, जिला-रायगढ़

धारा 28 (2) (पाँच) 1. डॉ. अमित कुमार धर दुबे किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़, जिला-रायगढ़
2. डॉ. रामकुमार सिंह कंवर, शासकीय लक्ष्मणेश्वर स्नातको. महाविद्यालय खरौद जिला जांजगीर-चांपा

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. धनेश्वरी पटेल को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for [Signature] कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1129/ अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि. रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

[Signature] निरगा
सहायक अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाइट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-1-4-3 / हिन्दी / 2024/1124

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024


// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ. बी.आर.महिपाल, शासकीय एम.एम.आर.स्नातको. महावि. चाँपा जिला-जाँजगीर चाँपा
2. डॉ. देवेन्द्र शुक्ला, जे.एल.एन.डिग्री कॉलेज सक्ती, जिला जाँजगीर-चाँपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. डॉ.सरोज शर्मा, शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जाँजगीर, जिला जाँजगीर-चाँपा
2. डॉ.चन्द्रशेखर सिंह, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, जिला-रायगढ़
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. डॉ. रविन्द्र चौबे, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़
2. श्री बी.के.भगत, के.एम.टी.शासकीय कन्या महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ. बी.आर.महिपाल को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024
2024

पृ.क्र. 11257 अका./2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जाँजगीर चाँपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।


प्रभारी अधिकारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक. 2-3-10-4-7/ माइक्रोबायोलॉजी / 2024 / 1122

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा (2) की कंडिका (एक) से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त

धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.के.के.पटेल, शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा
2. रिक्त

धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त

धारा 28 (2)(चार) 1. श्रीमती प्रतिभा सिंह चंदेल, शासकीय जाज्वलयदेव नवीन कन्या महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा

2. रिक्त

धारा 28 (2)(पाँच) 1. रिक्त

2. रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.के.के.पटेल को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

for
कुलसचिव

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1123/ अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त, गोपनीय, एवं परीक्षा विभाग, शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।

for
प्रमुख अधिकाारी (अका.)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमॉक. 2-3-2-4-6 / मनोविज्ञान / 2024 / 1126

रायगढ़, दिनांक 22/08/2024


// अधिसूचना //

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उप-धारा(2) की कंडिका(एक)से (पाँच) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है -

- धारा 28 (2) (एक) 1. रिक्त ,
- धारा 28 (2) (दो) 1. डॉ.शारदा घोघरे, किरोडीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़
2. प्रो.माधुरी मिंज तिग्गा,शासकीय टी.सी.एल स्नातको. महाविद्यालय जांजगीर जिला
जांजगीर-चांपा
- धारा 28 (2) (तीन) 1. रिक्त
- धारा 28 (2) (चार) 1. रिक्त
2. रिक्त
- धारा 28 (2)(पाँच) 1. श्री दिनेश कुमार कोसले किरोडीमल शास.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ जिला-रायगढ़
2. रिक्त

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उप-धारा (3) के प्रावधान के अनुसार माननीय कुलपति महोदय द्वारा डॉ.शारदा घोघरे को अध्यक्ष अध्ययन मंडल मनोनीत किया है
अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिए होगा।


आदेशानुसार


कुलसचिव
रायगढ़, दिनांक 22/08/2024

पृ.क्र. 1127/ अका./ 2024

प्रतिलिपि:-

01. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा, विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर।
03. आयुक्त उच्च शिक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
04. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
05. कुलसचिव के निज सचिव को माननीय कुलसचिव महोदय के सादर सूचनार्थ।
06. संबंधित संकायाध्यक्ष को सूचनार्थ।
07. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा को सूचनार्थ
08. संबंधित सदस्य.....को सूचनार्थ।
09. विभाग प्रमुख - वित्त,गोपनीय,एवं परीक्षा विभाग, ,शहीद नंदकुमार पटेल वि.वि.रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. कार्यालय प्रति।


आधेकारी (अका.)